



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:-20180730182732430

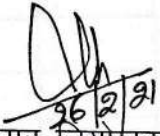
दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

प्रपत्र-द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या-2.1.8)

आगरा विकास प्राधिकरण

भाग-अ

1. (i) आवेदक का नाम NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA
(ii) वर्तमान पता GANDHI NAGAR
2. खसरा/भूखण्ड संख्या तथा KH.NO. 115 (PART),
योजना का नाम/मोहल्ला/ वार्ड MAUJA JAGANPUR, AGRA
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) 2759.54 SQM.
4. अनुमन्य भू-उपयोग RESIDENTIAL
(i) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि 17/09/18
(ii) परमिट संख्या 20180730182732430
(iii) यदि अनधिकृत विकास का शमन
कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा
करने की रसीद संख्या व दिनांक का
विवरण देते हुए शमन मानचित्र की
प्रति संलग्न करें

5. भू-उपयोग का विवरण :

क्रमांक	भू-उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	आवासीय	2233.43	81.88	2233.43	81.88		
(ii)	वाणिज्यिक	-					
(iii)	अन्य	-					
(iv)	पार्क एवं खुला स्थान	-					
(v)	सड़कें तथा गलियाँ	493.99	18.12	493.99	18.12		

14/2007/49405

नीलम गुप्ता
Anjali Gupta



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
पत्रांक संख्या:-20180730182732430

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


26/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(i)	प्राइमरी स्कूल	-					
(ii)	हायर सेकेण्डरी स्कूल	-					
(iii)	डिग्री कालेज	-					
(iv)	डिस्पेन्सरी	-					
(v)	अस्पताल	-					
(vi)	पोस्ट आफिस	-					
(vii)	कम्युनिटी सेन्टर	-					
(viii)	पुलिस स्टेशन	-					
(ix)	फायर स्टेशन	-					
(x)	टेलीफोन एक्सचेंज	-					
(xi)	बस स्टेशन	-					
(xii)	टैक्सी स्टैंड	-					
(xiii)	जन-सुविधाएं	-					
(xiv)	अन्य-सुविधाएं	-					

7. निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें :-

- सड़कें
- सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)
- पुलिया (कल्वर्ट)
- मार्ग प्रकाश व्यवस्था
- पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस-वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेंट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।
- ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।
- सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति।
- सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)
- बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।
- विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रांसफार्मर्स तथा 11 के.वी.ए. सब-स्टेशन की स्थिति एवं ट्रांसफार्मर्स की क्षमता अंकित हो।
- सीवर का अन्तिम निस्तारण-विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।

म.स.क.
20/2007/39405

नियंत्रक
आयुक्त



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:—20180730182732430

दिनांक:—26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं०-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तें:—

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

(xii) ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम।

8. शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था :-

- (i) सड़कें
- (ii) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)
- (iii) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)
- (iv) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए./11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)
- (v) सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन

- (i) उपविधि के अन्तर्गत है/नहीं है हाँ/नहीं
- (ii) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। हाँ/नहीं

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है।

हाँ/नहीं

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना :-

विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यों के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न है) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू-उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं। अतः मुझे/हमें उपरोक्त वर्णित ले-आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :-

1.

2.

3.

दिनांक : 04/02/2021

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : उक्त सूचना केवल आवेदन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

मिलन गुप्ता
Anjali Gupta



आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा
पत्रांक संख्या:-20180730182732430

दिनांक:- 26/2/21

पूर्णता प्रमाण-पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या-115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशाली अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0-20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यों के रख-रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।


26/2/21
मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

भाग-ब

**पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)**

मैंने श्री/श्रीमती NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA (आवेदक का नाम) का, HARIPARWAT, वार्ड स्थित क्षेत्र/योजना KH.NO. 115(PART), का निरीक्षण दिनांक . 01/02/2021. को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल MAUJA JAGANPUR, AGRA जाँच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जाँच आख्या निम्नवत् है :-

विकास के सभी कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

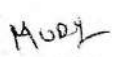
विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक-9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत वास्तुविद्/नगर नियोजक 

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक . 04/02/2021 . . .

भाग-स

**रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)**

विकसित योजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र/लागू उपविधियों के अनुरूप है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति 

नाम/पता

लाइसेन्स संख्या

लाइसेन्स वैधता की अवधि

दिनांक . 04/02/2021 . . .